विकलांग जन विकास विभाग
उत्तर प्रदेश

कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय–व्ययक
(परफार्मेन्स बजट)
वर्ष 2016–2017

ज्ञान बढ़े और काम बढ़े
विकलांग जन का मान बढ़े

उत्तर प्रदेश शासन
लखनऊ

विषय सूची

क्रम संख्या	विषय	पृष्ठसंख्या
1.	भूमिका	
2.	विकलांग जन विकास विभाग उ0प्र0 की संरचना	
3.	विकलांग जन विकास विभाग के मुख्य दायित्व	
4.	विकलांग जन विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएँ।	
5.	विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य	
6.	ई–गवर्नेन्स की प्रगति	
7.	वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण	
8.	वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण	
9.	वर्ष 2016–17 में पूँजीगत–आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि का विवरण	
10.	वित्तीय आवश्यकताएँ–कार्यक्रमों तथा कार्यकलापों का वर्गीकरण	
11.	उद्देश्यवार वर्गीकरण	
12.	वित्तीय संसाधनों के स्रोत	
13.	वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य	
14.	विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वीकृत/भरे पदों का विवरण	
15.	प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट	

प्राक्कथन

विभागीय योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों में पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करने के उद्‌देश्य से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों का वर्गीकरण करते हुए विकलांग जन विकास विभाग का वर्ष 2016—17 का कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय—व्ययक (परफार्मेन्स बजट) प्रस्तुत है।

प्रस्तुत आय—व्ययक विकलांग जन के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। समाज के सबसे असहाय, दुर्वल एवं शासकीय सहायता के सर्वाधिक पात्र वर्ग विकलांग जन के उत्थान एवं आत्मनिर्भरता से संबंधित योजनाओं को अत्यधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाये जाने की आवश्यकता है। आशा है यह आय—व्ययक उक्त उद्‌देश्यों की प्राप्ति में सहायक सिद्व होगा।

सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
विकलांग जन विकास विभाग

विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
वर्ष 2016–17 का कार्यपूति दिग्दर्शक आय–व्ययक
परफार्मेन्स बजट
भूमिका

भारत की जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में विभिन्न विकलांगताओं से ग्रसित कुल व्यक्तियों की संख्या 4157514 है। जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 2.08 प्रतिशत है। प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में निवासरत विकलांग व्यक्तियों का विकलांगतावार वर्गीकरण निम्नवत है :–

जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में श्रेणीवार विकलांगों की संख्या का विवरण

विवरण		ग्रामीण	शहरी	कुल योग
विकलांगजन की कुल जनसंख्या		**3166615**	**990899**	**4157514**
	पुरूष	1803715	560456	2364171
	महिला	1362900	430443	1793343
दृष्टि विकलांगता		**579182**	**184806**	**763988**
	पुरूष	307821	100041	407862
	महिला	271361	84765	356126
वाक् विकलांगता		**202152**	**64434**	**266586**
	पुरूष	114665	36505	151170
	महिला	87487	27929	115416
श्रवण विकलांगता		**753704**	**274131**	**1027835**
	पुरूष	398665	146514	545179
	महिला	355039	127617	482656
अस्थि विकलांगता		**543203**	**134510**	**677713**
	पुरूष	355061	86554	441615
	महिला	188142	47956	236098
मानसिक मंदित		**140097**	**41245**	**181342**
	पुरूष	88236	25605	113841
	महिला	51861	15640	67501

मानसिक रूग्ण		**57497**	**19106**	**76603**
	पुरूष	37021	12100	49121
	महिला	20476	7006	27482
अन्य विकलांगता		**720020**	**226416**	**946436**
	पुरूष	402738	126226	528964
	महिला	317282	100190	417472
बहु विकलांगता		**170760**	**46251**	**217011**
	पुरूष	99508	26911	126419
	महिला	71252	19340	90592

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उ0प्र0 के समस्त 71 जनपदों में निवासरत महिला एवं पुरूष विकलांगजन की जनसंख्या का जनपदवार विवरण निम्नवत हैः—

क्रमांक	जनपद	विकलांगजन की कुल संख्या		
		कुल	पुरूष	महिला
1	आगरा—	120117	67708	52409
2	मैनपुरी—	33563	19796	13767
3	मथुरा—	51179	30154	21025
4	फिरोजाबाद—	50582	29718	20864
5	अलीगढ़—	75974	43398	32576
6	महामाया नगर	26547	15661	10886
7	एटा—	31245	18238	13007
8	कासगंज	23771	13745	10026
9	झांसी—	38796	22283	16513
10	ललितपुर—	17985	10413	7572
11	जालौन—	31251	18283	12968
12	हमीरपुर—	19055	11116	7939
13	महोबा—	15681	8955	6726
14	बांदा—	27972	16630	11342
15	चित्रकूट—	15403	8833	6570

16	लखनऊ–	122113	68070	54043
17	रायबरेली–	62230	34855	27375
18	हरदोई–	74082	43818	30264
19	उन्नाव–	63730	36261	27469
20	सीतापुर–	89157	51851	37306
21	खीरी–	71959	41458	30501
22	बरेली–	92300	53187	39113
23	बदायूं–	69688	40796	28892
24	पीलीभीत–	37181	22090	15091
25	शाहजहांपुर–	58073	33730	24343
26	मेरठ–	66225	37888	28337
27	बागपत–	22265	13158	9107
28	गाजियाबाद–	144305	79869	64436
29	गौतमबुद्ध नगर–	35955	20506	15449
30	बुलन्दशहर–	60925	35133	25792
31	सहारनपुर–	61271	35207	26064
32	मुजफ्फरनगर–	65775	38545	27230
33	मुरादाबाद–	82774	47205	35569
34	जे0पी0 नगर–	25873	15134	10739
35	रामपुर–	38210	21766	16444
36	बिजनौर–	61638	35492	26146
37	वाराणसी–	96924	54297	42627
38	चन्दौली–	32051	18602	13449
39	गाजीपुर–	79877	44416	35461
40	जौनपुर–	117683	63170	54513
41	मिर्जापुर–	41840	24247	17593
42	सन्त रविदास नगर–	27755	16145	11610

43	सोनभद्र–	31048	17810	13238
44	गोरखपुर	100730	55913	44817
45	महराजगंज–	61861	34309	27552
46	देवरिया–	71103	39211	31892
47	कुशीनगर–	139672	75176	64496
48	बस्ती–	43484	24084	19400
49	सन्त कबीर नगर–	26997	14993	12004
50	सिद्वार्थनगर–	44168	24477	19691
51	आजमगढ़–	76114	42559	33555
52	मऊ–	38910	21725	17185
53	बलिया–	91847	51016	40831
54	इलाहाबाद–	178275	99826	78449
55	कौशाम्बी–	42213	23724	18489
56	फतेहपुर–	55333	32222	23111
57	प्रतापगढ़–	77912	42326	35586
58	कानपुर नगर–	116292	68633	47659
59	कानपुर देहात	35804	21323	14481
60	फरूर्खाबाद–	31497	19041	12456
61	कन्नौज–	31308	18692	12616
62	औरय्या–	27645	16701	10944
63	इटावा–	31196	18788	12408
64	फैजाबाद–	45767	25671	20096
65	अम्बेडकरनगर–	46580	25864	20716
66	सुल्तानपुर–	72931	40376	32555
67	बाराबंकी–	72256	41381	30875
68	गोण्डा–	62452	35729	26723
69	बलरामपुर–	30500	17573	12927

70	श्रावस्ती	20921	11885	9036
71	बहराईच–	71718	41316	30402
	कुल योग :–	**4157514**	**2364171**	**1793343**

शामली, हापुड़, सम्भल, अमेठी, बाद में सृजित होने के कारण पूर्व जनपद में भी विकलांग जनों का आगणन सम्मिलित है।

समाज के विशेष रूप से असहाय, निराश्रित सुविधाविहीन विकलांग वर्ग के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा 20 सितम्बर, 1995 से विकलांग जन विकास विभाग का गठन किया गया है।

विकलांगता की परिभाषा

विकलांग जन के समग्र कल्याण हेतु भारत सरकार द्वारा विकलांग जन (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 पारित किया गया है, जो 07 फरवरी, 1996 से जम्मू कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में प्रभावी है। इस अधिनियम में कुल 14 अध्याय एवं 74 धाराऍ हैं। इस अधिनियम की धारा–2(न) में निःशक्त (विकलांग) व्यक्ति की परिभाषा निम्नानुसार दी गयी हैः–

2(न) निः शक्त (विकलांग): से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा यथाप्रमाणित किसी निःशक्तता से कम से कम 40 प्रतिशत से ग्रस्त है।

उक्त अधिनियम –1995 की धारा–2 में निःशक्तता (विकलांगता) की श्रेणियॉ एवं उनकी परिभाषायें निम्नानुसार दी गयी है :–

2(ख) दृष्टिहीनता–उस अवस्था के प्रति निर्देश करता है जहॉ कोई व्यक्ति निम्नलिखित दशाओं में से किसी से ग्रसित है अर्थात–

1. दृष्टिगोचरता का पूर्ण अभाव या
2. सुधारक लेन्सों के साथ बेहतर ऑख में 6/60 या 20/200 स्नेलन से अनधिक दृष्टि की तीक्ष्णता या
3. दृष्टि क्षेत्र की सीमा का 20 डिग्री के कोण के कक्षांतरकारी होना या अधिक खराब होना।

2(प) कम दृष्टि वाला व्यक्तिः– से अभिप्रेत है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसके उपचार या मानक उपवर्धनीय सुधार संशोधन के बावजूद दृष्टिसंबंधी कृत्य का ह्रास हो गया है और जो समुचित सहायक युक्ति से किसी कार्य की योजना या निष्पादन के लिए दृष्टि का उपयोग करता है या उपयोग करने में संभाव्य रूप से समर्थ है।

2(फ) कुष्ठ रोग से मुक्तः– से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया है किन्तु निम्नलिखित से ग्रसित हैः–

1. जिसके हाथ या पैरों में संवेदना की कमी तथा नेत्र और पलकों में संवेदना की कमी और आंशिक घात है किन्तु कोई प्रकट विरूपता नही है।
2. प्रकट विकलांगता ग्रस्त और आंशिक घात है किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है जिससे वे सामान्य आर्थिक क्रिया कलाप कर सकते हैं।
3. अत्यन्त शारीरिक विरूपांगता और अधिक वृद्वावस्था से ग्रस्त है जो उन्हें कोई भी लाभपूर्ण
उपजीविका चलाने से रोकती है और कुष्ठ रोग से मुक्त पद का अर्थ तदनुसार लगाया जायेगा।
2(द) श्रवण ह्रास– से अभिप्रेत है संवाद संबंधी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कर्ण में 60 डेसीबल या अधिक की हानि।
2(ण) चलन क्रिया संबंधी निःशक्तता– से हड्डियों, जोडों या मांसपेशियों की कोई ऐसी निःशक्तता अभिप्रेत है जिससे अंगों की गति में पर्याप्त निर्बन्धन या किसी प्रकार का प्रमस्तिष्क अंगघात हो।
2(घ) मानसिक मंदता–से किसी व्यक्ति के मस्तिष्क के अवरूद्व या अपूर्ण विकास की अवस्था है जो विशेष रूप से सामान्य बुद्विमत्ता की अवसामन्यता द्वारा प्रकट होती है, अभिप्रेत है।
2(ध) मानसिक बीमार– से मानसिक मंदता से भिन्न कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है।

विकलांगता की उक्त श्रेणियों एवं परिभाषाओं के अनुसार विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने हेतु उ0प्र निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियमावली, 2001 को सरलीकृत करते हुये उ0प्र0 निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) (प्रथम संशोधन) नियमावली 2014 शासन के अधिसूचना संख्या 519/65–3–2014–62/98 दिनांक 3.9.2014 द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त संशोधित नियमावली के अनुसार सहज दृश्य विकलांगता हेतु विकलांग प्रमाण पत्र प्रदेश के विभिन्न सामुदायिक चिकित्सा केन्द्रों एवं प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों, राजकीय चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा विभाग द्वारा नामित प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगाा, जबकि ऐसी विकलांगता जो सहज दृश्य न हो एवं उसके परिमाणमापन हेतु विशेषज्ञ चिकित्सक एवं उपकरण की आवश्यकता हो, के प्रकरण में विकलांग प्रमाण पत्र प्राधिकृत चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर प्रत्येक जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी की अध्यक्षता में गठित चिकित्सा परिषद अथवा डा0 राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ के प्राधिकृत चिकित्सक द्वारा निर्गत किया जायेगा।

विकलांग जन विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
की संरचना

समाज के असहाय, सुविधाविहीन एवं कमजोर वित्तीय स्थिति वाले विकलांग व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास एवं उनके लाभ तथा सहायता के लिए बनाई गयी योजनाओं के सुचारू संचालन हेतु प्रदेश सरकार द्वारा 20 सितम्बर, 1995 को अलग से विकलांग जन विकास विभाग का गठन किया गया जिसके अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, विशेष सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अनुसचिव के 1–1 पद तथा 3 अनुभाग सृजित हैं।

विभाग के अधीन विकलांग जन विकास विभाग निदेशालय कार्यरत है जिसमें निदेशक का एक पद तथा संयुक्त निदेशक(विभागीय संवर्ग) के तीन पद तथा मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी का 1 पद सृजित है।

उपनिदेशक के 13 पद – उपनिदेशक के दो पद मुख्यालय स्तर तथा ग्यारह पद मण्डल स्तर (लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, वाराणसी, इलाहाबाद,आगरा, गोरखपुर, आजमगढ़, फैजाबाद तथा झांसी) में सृजित हैं तथा 75 जनपदों में जिला विकलांग कल्याण अधिकारी के पद सृजित हैं।

विभाग में सृजित एवं भरे पदों के विवरण हेतु परिशिष्ट 'क' तथा प्रशासनिक व्यवस्था हेतु विभागीय संगठन का चार्ट परिशिष्ट 'ख' अवलोकनीय है।

विकलांग जन विकास विभाग के मुख्य दायित्व

1. विकलांगों के संबंध में राष्ट्रीय नीति का कार्यान्वयन।
2. आयोजनागत एवं आयोजनेतर योजनाओं के माध्यम से विकलांगों का सामाजिक,शैक्षणिक एवं आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
3. विकलांगों के विकास संबंधी भारत सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
4. विकलांग जन विकास के संबंध में राष्ट्रीय संस्थानों के साथ समन्वय।
5. विकलांगजनों के विकास संबंधी कार्य हेतु अन्तर्विभागीय समन्वय।
6. सेवाओं में विकलांगों का आरक्षण एवं उनके सेवायोजन का पर्यवेक्षण।
7. विकलांगों के लिये सहायक उपकरणों का प्रबन्ध।
8 विकलांगजनों के लिये विशेष तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण।
9. गैर सरकारी संस्थाओं/ माता–पिता/सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों को विकलांगजनों के विकास संबंधी प्रशिक्षण।
10. गैर सरकारी संस्थाओं को विकलांगजनों के विकास सम्बन्धी कार्य करने हेतु सहायता एवं सहयोग।
11. राज्य एवं केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों तथा निजी क्षेत्र के उद्यमों एवं उनके संगठनों से विकलांग जन विकास के लिये सहयोग प्राप्त करना।

12. विकलांगों से संबंधित योजनाएं आय–व्ययक अनुमान तथा अन्य प्रशासनिक मामले।

विकलांग जन विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रम/योजनाएं

1– संकेत(राजकीय मूक बधिर विद्यालय) लखनऊ,आगरा ,बरेली, फर्रूखाबाद, गोरखपुर :

लखनऊ,बरेली, फर्रूखाबाद, आगरा, गोरखपुर में एक–एक विद्यालय संचालित हैं। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जानें के साथ–साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। लखनऊ,बरेली तथा फर्रूखाबाद में जूनियर हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा प्रदान की जाती है। बरेली में आवासीय छात्र संख्या 120 तथा अनावासीय छात्र संख्या 220 (कुल 340) है। फर्रूखाबाद की आवासीय छात्र क्षमता –60 तथा अनावासीय छात्र क्षमता–40 है(कुल 100) तथा लखनऊ की आवासीय क्षमता 100 छात्र है। आगरा एवं गोरखपुर में हाईस्कूल स्तर तक की शिक्षा देने की व्यवस्था हे। आगरा की आवासीय छात्र क्षमता 50 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 100 (कुल 150) तथा गोरखपुर में आवासीय सुविधा उपलबध नही है अनावासीय छात्र क्षमता 100 है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/– तक होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ–साथ रू0 1200/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है। इन विद्यालयों में लाभान्वितों का विवरण निम्नवत है–

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
05	आवासीय	330	254	241	330
	अनावसीय	460	371	261	460
	योग	790	625	502	790

2– स्पर्श(बालक /बालिकाओं के लिये राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालय)लखनऊ, गोरखपुर,बॉदा, सहारनपुर, मेरठ

लखनऊ/गोरखपुर में बालकों/बालिकाओं के लिए एक–एक, बांदा एवं मेरठ में बालकों हेतु एक–एक इण्टर कालेज संचालित है। इन विद्यालयों की आवासीय छात्र क्षमता 200–200 हैं तथा अन्य 04 विद्यालयों की आवासीय क्षमता 100–100 है अनावासीय छात्र क्षमता 25–25 है। जनपद सहारनपुर में बालिकाओं हेतु हाईस्कूल स्तर तक का विद्यालय संचालित है, जिसकी आवासीय छात्र क्षमता 75 तथा अनावासीय छात्र क्षमता 25 है। इन विद्यालयों में ब्रेल पद्वति के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/–होती है, उन छात्र/छात्राओं को आवासीय सुविधा के साथ–साथ प्रति छात्र/छात्रा रू0 1200/– प्रतिमाह

की दर से छात्रवृत्ति/छात्रवेतन दिया जाता है, तथा अनावसीय छात्र/छात्राओं को घर से विद्यालय तक आने जाने हेतु निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध करायी जाती है। इन विद्यालयों में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष लाभान्वितों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014—15	2015—16	2016—17 (लक्ष्य)
07	आवासीय	875	558	594	875
	अनावसीय	175	86	89	175
	योग	1050	644	683	1050

3. **<u>ममता (मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं का राजकीय विद्यालय) लखनऊ तथा इलाहाबाद।</u>**

प्रदेश में मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों/बालिकाओं के लिए एक—एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा इलाहाबाद में संचालित है। इन विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं को मनोवैज्ञानिक पद्धति से निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है । प्रत्येक विद्यालय की आवासीय छात्र क्षमता 50—50 है। इन विद्यालयों में संवासियों को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने की दृष्टि से व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन संवासियों के अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/— प्रतिमाह तक है उनके भरण पोषण पर शासन द्वारा 1200/— रू0 प्रति माह प्रति संवासी की दर से व्यय किया जाता है। विद्यालयों में लाभान्वित छात्रों की वर्षवार संख्या निम्न प्रकार है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014—15	2015—16	2016—17 (लक्ष्य)
02	आवासीय	100	63	51	100
	अनावासीय	0	0	0	0
	योग	100	64	51	100

4. <u>प्रयास (शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का लिये राजकीय विद्यालय) लखनऊ, प्रतापगढ—</u>

शारीरिक रूप से अक्षम बालकों के लिये प्रतापगढ तथा लखनऊ में एक—एक विद्यालय संचालित है। प्रत्येक विद्यालय की छात्र क्षमता 50—50 बालकों की है। इन विद्यालयों में हाईस्कूल स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों जिनके अभिभावकों की मासिक आय रू0 1000/— तक होती है उनकों आवासीय सुविधा के साथ भरण पोषण हेतु रू0 1200/— प्रतिमाह प्रति छात्र दिया जाता है । इन विद्यालयों में लाभान्वित छात्रों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :

विद्यालयों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
02	आवासीय	100	73	66	100
	अनावासीय	0	0	0	0
	योग	100	73	66	100

5. उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं हेतु छात्रावासों का संचालन लखनऊ गोरखपुर, इलाहाबाद एवं मेरठ।

दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं द्वारा अपने–अपने क्षेत्र से इण्टरमीडिएट की शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिये अनेक कठिनाईयों का सामाना करना पड़ता है, के दृष्टिकोण से उन्हें उच्च शिक्षा ग्रहण करने के समय आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लखनऊ/गोरखपुर में छात्र/छात्राओं हेतु एक–एक, इलाहाबाद/मेरठ मे छात्रों हेतुं एक–एक कुल छः छात्रावासों की स्थापना की गयी है। प्रत्येक छात्रावास की स्वीकृत क्षमता 200–200 है। उक्त छात्रावासों के संचालन हेतु नियमावली का प्रख्यापन शासन द्वारा किया जा चुका है

विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए उक्त 16 विद्यालयों एवं उनके छात्रावासो के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत पक्ष में रू0 466.78 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 1224.85 लाख की धनराशि का प्राविधान किया गया था जिसके सापेक्ष आयोजनागत पक्ष में रू0 311.73 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 1092.95 लाख व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत पक्ष में रू0 465.98 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 1344.06 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक क्रमशः रू0 262.69 लाख तथा रू0 770.31 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में रू0 526.37 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू 1498.36 लाख का प्राविधान है।

6.कौशल विकास केन्द्र (दृष्टिबाधितों के लिये राजकीय कर्मशाला) लखनऊ गोरखपुर तथा बॉदा–

दृष्टिबाधित बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर तथा बॉदा में एक–एक कर्मशाला संचालित है। लखनऊ तथा गोरखपुर कर्मशाला में स्वीकृत आवासीय संवासी क्षमता 50–50 तथा अनावासीय संवासी क्षमता 50–50 है। बॉदा में आवासीय संवासी स्वीकृत क्षमता 50 तथा अनावासीय क्षमता 25 है। इन कर्मशालाओं में दृष्टिबाधित व्यक्तियों को वर्क आर्डर के आधार पर कुर्सी बुनाई आदि का कार्य अन्य कार्यालयों में उपलबध कराया जाता है जिसके लिये उन्हें

पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके साथ ही डिजाइनर मोमबत्तियों, कम्प्यूटर आदि का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। इन कर्मशालाओं में स्वीकृत क्षमता के सापेक्ष पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
03	आवासीय	150	17	20	150
	अनावासीय	125	02	01	125
	योग	275	19	21	275

7.कौशल विकास केन्द्र(शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिये राजकीय प्रशिक्षण केन्द्र) वाराणसी– शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/विकलांगों को प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से संचालित कर्मशाला मिर्जापुर से स्थानानंतरित होकर जनपद वाराणसी में संचालित है। इस कर्मशाला में आवासीय संवासियों की क्षमता 60 तथा अनावासीय संवासियों की क्षमता 40 (कुल 100) है। इन संवासियों को आवासीय सुविधा के साथ–साथ रू0 1200/– प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराशि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस कर्मशाला में विकलांग व्यक्तियों को मोमबत्ती आदि बनाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता हैं।

8. कौशल विकास केन्द्र(मूक–बधिरों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला) आगराः–

जनपद आगरा में मूक बधिरों के लिये एक व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र एवं आश्रित कर्मशाला स्थापित है। जिसमें आवासीय संवासियों की क्षमता 25 तथा अनावासीय संवासियों की स्वीकृत क्षमता 25 (कुल 50) है। इन संवासियों को रू0 1200/– प्रतिमाह प्रति संवासी की दर से धनराश्रि भरण पोषण हेतु प्रदान की जाती है। इस केन्द्र में सिलाई तथा प्रेस कटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कर्मशालाओं में संवासियों की स्वीकृत क्षमता एवं पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
01	आवासीय	25	0	0	25
	अनावासीय	25	0	0	25
	योग	50	0	0	50

विकलांग कर्मशालाओं के संचालन पर वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 229.43 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 135.86 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 251.42 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर,

2015 तक रू0 85.34 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू 324.63 लाख का प्राविधान है।

9–बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं गौतमबुद्वनगरः–

सभी श्रेणी के विकलांग जन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं गौतमबुद्वनगर जनपद में एक–एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की स्वीकृत क्षमता 50–50 (कुल 100 है) जिसमें सभी श्रेणी के विकलांग जन को बाजार की मॉग के अनुरूप अल्प अवधि के विभिन्न व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। उक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रू0 18.60 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 17.40 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 19.11 के प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक कुल रू0 7.54 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू 21.76 लाख का प्राविधान है।

इन बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्रों में स्वीकृत क्षमता/पूर्ति का वर्षवार विवरण निम्नवत् हैः–

कर्मशालाओं की संख्या	आवासीय/ अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
02	आवासीय	0	0	0	0
	अनावासीय	100	91	93	100
	योग	100	91	93	100

10. निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली, गोरखपुर एवं मेरठ :–

प्रदेश के निराश्रित मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र बरेली में महिलाओं हेतु तथा गोरखपुर एवं मेरठ में पुरूषों हेतु एक–एक आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों की आवासीय क्षमता 50–50 है। इन केन्द्रों में मानसिक मंदित विकलांग जन को प्रवेश देकर उनकों आश्रय प्रदान किये जाने के साथ साथ व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वावलम्बी बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। जिनके संचालन हेतु गत वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 109.16 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष तक कुल रू0 100.05 लाख का व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु कुल रू0 69.82 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक कुल रू0 43.13 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 मे रू0 84.69 लाख का प्राविधान है।

केन्द्रों की संख्या	आवासीय / अनावसीय	स्वीकृत क्षमता	2014–15	2015–16	2016–17 (लक्ष्य)
03	आवासीय	150	43	99	150
	अनावासीय	0	0	05	0
	योग	150	43	104	150

11. अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान वाराणसी का संचालन :–

इस संस्थान में सभी श्रेणी के विकलांग जन हेतु जनपद वाराणसी में अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान संचालित है इस संस्थान में मानसिक मंदित विकलांग जन को आवासीय सुविधा के साथ–साथ विभिन्न प्रकार के व्यावसायिक ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाये जाने का कार्य प्रदान किया जाता है। इस हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 19.25 लाख का व्यय करके मानसिक मंदित बच्चों के अध्ययन–अध्यापन तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य किया गया। उक्त कार्यो के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 29.96 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015–16 तक कुल रू0 9.90 लाख का व्यय किया गया है वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 33.71 लाख का प्राविधान है।

12. मनोविकास केन्द्र, गोरखपुर :–

गोरखपुर मण्डल में जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु जनपद गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज के आरोग्य भवन में मनोविकास केन्द्र संचालित है। इस मनोविकास केन्द्र में जापानी इंसेफलाइटिस से ग्रसित विकलांगजन को आई0क्यू0 असेसमेन्ट, आक्यूपेशनलथिरेपी यूनिट, फिजियोथैरेपी यूनिट, आडियोलाजी यूनिट, व्यावसायिक प्रशिक्षण यूनिट, काउन्सिलिंग एवं सोशल एजूकेशनल यूनिट के माध्यम से पुनर्वास सेवायें एवं सुविधायें प्रदान की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 12.83 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 11.80 लाख का व्यय करके जापानी इन्सेफलाइटिस से प्रभावित मरीजों के मानसिक विकास हेतु कार्य किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 14.83 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015–16 तक कुल रू0 12.70 लाख का व्यय किया गया है वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 18.73 लाख का प्राविधान है।

13. बचपन डे केयर की स्थापना एवं संचालनः–

सर्व शिक्षा अभियान से प्राप्त करायी गयी धनराशि से जनपद लखनऊ,इलाहाबाद,वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा,सहारनपुर,झॉसी,बरेली, गौतमबुद्वनगर (प्रत्येक 30बच्चों हेतु) में बचपन डे केयर सेन्टर संचालित किये गये थे। वर्ष 2008–09 तक इन केन्द्रों का संचालन सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किया गया था, तदोपरान्त वर्ष 2009–10 से विकलांग कल्याण विभाग द्वारा उक्त योजना को विभागीय बजट से संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रू0 100.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 99.43 लाख का व्यय किया गया। बचपन डे केयर

सेन्टर में मानदेय पर समन्वयक तथा विशेष अध्यापकों की व्यवस्था हैं तथा इसके अतिरिक्त प्रत्येक सेन्टर पर 1–1 फिजियोथिरेपिस्ट, साइकोकाउन्सलर, स्पीच ट्रेनर / विशेषज्ञों की सेवायें प्रति विजिट के आधार पर तथा अटेन्डेन्ट, आया, सफाई कर्मी, चौकीदार की सेवायें मानदेय के आधार पर ली जा रही हैं। इन सेन्टर्स में 03 से 07 वर्ष तक के विकलांग बच्चों को शिक्षण / प्रशिक्षण के साथ–साथ अवागमन की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध करते हुये सामान्य विद्यालयों में शिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षित किया जाता है। नवीन बचपन नर्सरी केन्द्रों की स्थापना हेतु रू0 400.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष प्रदेश के 10 मण्डल मुख्यालय के जनपदों यथा अलीगढ़, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बस्ती, आजमगढ़, कानपुर नगर, फैजाबाद, गोण्डा तथा गोरखपुर में बचपन डे केयर सेन्टर खोले जाने कार्यवाही की जा रही है। स्थापित बचपन डे केयर सेन्टर्स के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के आयोजनेतर पक्ष में रू0 100.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015–16 तक कुल रू0 67. 78 लाख का व्यय किया गया है वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 110.00 लाख का प्राविधान आयोजनागत पक्ष में तथा रू0 200.00 लाख का प्राविधान आयोजनेतर पक्ष में है।

14. <u>समेकित विद्यालयों की स्थापना :–</u>

विभाग द्वारा तीन समेकित विद्यालय (कन्नौज इलाहाबाद, औरैया) के निर्माण कार्य हेतु निर्माण एजेंसी को अबतक रू0 25.00 करोड़ की धनराशि जारी की जा चुकी है विद्यालयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उक्त विद्यालयों के निर्माण हेतु कुल रू0 15.00 करोड़ व 03 नवीन समेकित विद्यालय (लखनऊ, आजमगढ़, बलिया) के लिये रू0 12.00 करोड़ का प्राविधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 1840.00 लाख का प्राविधान है।

15 <u>डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय (लखनऊ) :–</u>

देश में प्रथम बार विभिन्न श्रेणी के विकलांग विधार्थियों को बाधारहित वातावरण में समेकित शिक्षा के अन्तर्गत गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से 'डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में विशेष शिक्षा संकाय में दृष्टिबाधितार्थ, श्रवणबाधितार्थ एवं मानसिक मन्दितार्थ बी0एड0 एवं डी0एड0 विशेष शिक्षा पाठयक्रमों के संचालन के साथ–साथ बी0ए0,एम0ए0, बी0काम0, एम0काम0, एम0एस0डबलू, एम0बी0ए0 तथा विधि संकाय के अन्र्तगत बी0काम0 एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहे है। विश्वविद्यालय में कुल 09 संकाय के अन्र्तगत 29 विभागों के बनने का प्राविधान है जिसमें वर्तमान में 21 विभाग कियाशील है। विश्वविद्यालय मे प्रत्येक पाठयक्रम में विभिन्न श्रेणी के विकलांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात 25 प्रतिशत सीटें केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनागत पक्ष के वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रू0 1700.00 लाख तथा पूँजीगत निर्माण हेतु रू0 6000.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक क्रमशः रू0 1500.00 करोड़ तथा रू0 2902.21 करोड़ का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में रू0 3700.00 लाख तथा पूंजीगत निर्माण हेतु पक्ष में रू0 2760.00 लाख का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त

विश्वविद्यालय में विशिष्ट स्टेडियम के निर्माण हेतु रू0 3500.00 लाख तथा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वासन केन्द्र की स्थापना हेतु रू0 3500.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

16. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित,मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग एवं व्यक्तियों, जिनका जीवनयापन के लिए स्वयं का न तो कोई साधन है और न ही वे किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण–पोषण हेतु विकलांग भरण–पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत वर्तमान में रू0 300/– प्रति माह की दर से अनुदान दिया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में आयोजनागत सामान्य पक्ष में रू0 4769.00 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 26194.41 लाख एस0सी0पी0 में रू0624.00 लाख व टी0एस0पी0 में रू0 2.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष क्रमशः रू0 4630.00 लाख, रू0 24759.02 लाख , एवं रू0 565.20 लाख तथा रू0 0.99 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनागत सामान्य पक्ष में रू0 6226.63 लाख, आयोजनेतर पक्ष में रू0 27500.00 लाख एस0सी0पी0 आयोजनागत पक्ष में रू0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु रू0 2.00 लाख तथा के प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक आयोजनागत पक्ष में रू0 1319.63 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 18542.79 लाख एवं एस0सी0पी0 हेतु रू0 475.64 लाख एवं टी0एस0पी0 पक्ष में रू0 1.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत सामान्य पक्ष में रू0 6226.63 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 26194.40 लाख एस0सी0पी0 में रू0 900.00 लाख व टी0एस0पी0 में रू0 2.00 लाख का प्राविधान है।

17. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को अधिकतम रू0 6000/– तक का अनुदान कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में सामान्य पक्ष में रू0 250.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 249.88 लाख की धनराशि व्यय की गयी तथा एस0सी0पी0 पक्ष में रू0 100.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष रू0 92.85 लाख की धनराशि व्यय की गयी है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर सामान्य पक्ष में रू0 250. 00 लाख व आयोजनागत एस0सी0पी0 में रू0 100.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक क्रमशः रू0 65.27 लाख़ तथा रू0 47.58 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एस0सी0पी0 के आयोजनागत पक्ष में रू0 240.00 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 1250.00 लाख का प्राविधान है।

18. विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः–

इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवती के विकलांग अथवा युवक व युवती दोनो के विकलांग होने की दशा में रू0 14000/– तथा दम्पति में युवक के विकलांग होने पर रू0 11000/–का प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था थी। दिनांक 11.4.2012 से अनुदान राशि

बढ़ाकर दम्पत्तियों में युवती के विकलांग अथवा युवक व युवती दोनों के विकलांग होने की दशा में रू0 20,000/– तथा दम्पत्ति में युवक के विकलांग होने की दशा में रू0 15,000/– कर दिया गया है। यह बढ़ी हुई अनुदान की धनराशि दिनांक 11.4.2012 के बाद हुये विवाहों पर लागू होगी। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 210.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 206.71 लाख की धनराशि व्यय की गयी। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 210.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 104.51 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 220.00 लाख का प्राविधान है।

19. <u>विकलांग जन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्रतिपूर्ति</u> :–

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र विकलांग जन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल रू0 2450.00 लाख की बजट व्यवस्था थी जिसके सापेक्ष रू0 2450.00 लाख व्यय किया गया तथा सड़क परिवहन निगम की लम्बित दयेता की धनराशि हेतु कुल रू0 3000.00 लाख का भुगतान उल्लिखित संस्था को किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 में उ0प्र0स0परि0नि0 को प्रतिपूर्ति हेतु आयोजनेतर पक्ष में कुल रू0 1000.00 लाख तथा उ0प्र0स0परि0नि0 को लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु कुल रू0 1900.00 लाख के प्राविधान सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 648.53 लाख तथा उ0प्र0स0परि0नि0 को लम्बित अवशेष धनराशि की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 1900.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 3200.00 लाख का प्राविधान है।

20. <u>दक्ष विकलांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार</u>–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 4.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रू0 3.23 लाख का व्यय कर दक्ष विकलांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को लाभान्वित कराया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 4.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 2.88 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 4.50 लाख का प्राविधान है।

21. <u>स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायताः</u>–

विकलांग कल्याण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनो को विकलांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं विकलांग जन विकास विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया था, जिसके सापेक्ष रू0 30.00 लाख का व्यय किया गया था। वित्तीय वर्ष 2015–16 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 30.00 के लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 3.78 लाख

का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेत्तर पक्ष में रू0 30.00 लाख का प्रविधान है।

22. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 500.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 60.00 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में रू0 500.00 लाख का प्राविधान है।

23.निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान

उक्त योजना की नियमावली में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सीमा रू0 60000/प्रति वर्ष हो, की शल्य चिकित्सा हेतु सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित शल्य चिकित्सा व्यय के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम रू0 8000/– प्रति व्यक्ति की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 20.00 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 20.00 लाख का व्यय करके विकलांगों को शल्य चिकित्सा के माध्यम से लाभ प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 20.00 लाख का प्राविधान के सापेक्ष व्यय की कार्यवाही की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 600.00 लाख का प्राविधान है।

24. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापनाः–

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ कें परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिए वित्तीय वर्ष 2014–15 में रू0 1.50 लाख के प्राविधान के सापेक्ष कुल रू0 1.50 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 1.50 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 0.96 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 2.00 लाख का प्राविधान है।

25. ब्रेल प्रेस का संचालन :–

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च्य शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित बिषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल

प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु कुल रू0 21.53 लाख के प्रविधान के सापेक्ष कुल रू0 4.53 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 16.41 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 6.28 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 19.87 लाख का प्राविधान है।

26. **कुष्ठावस्था पेंशन योजना :–** विकलांग जन विकास विभाग द्वारा विकलांगजन हेतु संचालित विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण विकलांग जन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए ऐसे सभी विकलांग जन पात्र होगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आतें हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (चाहे विकलांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू0 2500/– प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 15.00 करोड़ का आयोजनागत पक्ष में प्राविधान किया गया है। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। इस योजना का शुभारम्भ चालू वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 1500.00 लाख का वजट प्राविधान आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित है।

27. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई विकलांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपुण योजना विभाग द्वारा प्ररम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 15.00 लाख का प्रविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

28. विकलांग बच्चों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा।

उ0प्र0 के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों के विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे बच्चों जो विशेष रूप से पोलियों से ग्रस्त हैं, की पोलियों करैक्टिव सर्जरी कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में रू0 600.00 लाख का प्राविधान है।

29. विकलांग जन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा–1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्व ढंग से विकलांग जन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर विकलांग जन को आसान पहुॅच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 25.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में विभाग के महत्वपूर्ण लक्ष्य

1. विकलांग पेंशन योजना के अन्तर्गत रू0 333.23 करोड़ की प्राविधानित धनराशि से लगभग 925638 विकलांग जन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
2. कुष्ठ रोग के कारण विकलांग जन को रू0 15.00 करोड़ की प्राविधानित धनराशि से लगभग 5000 विकलांग जन को पेंशन दिए जाने का लक्ष्य है।
3. निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए रू0 6.00 करोड़ की प्राविधानित धनराशि से लगभग 7500 विकलांग जन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
4. कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण अनुदान योजना में रू0 14.90 करोड़ रू0 के प्राविधान से लगभग 29800 विकलांग जन को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
5. शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार देने हेतु रू0 2.20 करोड़ की धनराशि से 1250 दम्पत्तियों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।
6. प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्व ढंग से विकलांग जन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर विकलांग जन को आसान पहुँच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु रू0 25.00करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।
7. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु कुल रू0 5.00 करोड़ का प्राविधान किया गया है।
8. डिस्लेक्यिा व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाइपर एक्विविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु रू0 20.00 लाख का प्राविधान किया गया है।
9. सभी मण्डल मुख्यालयों पर समेंकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना किये जाने के उद्देश्य से प्रथम चरण में इलाहाबाद, कन्नौज, आरैया एवं द्वितीय चरण में तीन नये समेकित विद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु कुल रू0 18.40 करोड़ का प्राविधानित है।

ई— गवर्नेन्स की प्रगति

विकलांग जन विकास विभाग में ई गवर्नेन्स की ओर विशेष कार्यवाही की जा रही हैं। विकलांग जन विकास विभाग में उपलब्ध कम्प्यूटरों का उपयोग विकलांग जन विकास अधिकारियों को बजट आवंटन, बी0एम0–8 का संकलन एवं बी0एम0–13 तैयार किये जाने, बजट प्रस्ताव, बजट नियन्त्रण, वार्षिक योजना एवं योजनाओं की प्रगति का संकलन कर अनुश्रवण हेतु किया जा रहा है। ई–गवर्नेन्स की धारणा को विकसित करने हेतु मुख्यालय स्तर के अधिकारियों एवं कर्मचाारियों को कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

विकलांग जन विकास अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या–85/65–2–2011–95(विविध)/2005, दिनांक– 31 मई, 2011 द्वारा विकलांग जन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं 1– विकलांग व्यक्ति द्वारा ऋण हेतु आवेदन, 2– विकलांग व्यक्ति के शादी प्रोत्साहन पुरस्कार के लिए आवेदन 3– विकलांग व्यक्ति के कृत्रिम अंग/उपकरण क्रय हेतु सहायता के लिए आवेदन सम्बन्धी सेवाओं को इलेक्ट्ानिक्स डिलीवरी सिस्टम द्वारा पात्र विकलांग जनों को उपलब्ध कराये जाने का भी निर्णय लिया गया है। जिसके लिए कामन सर्विस सेन्टर/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा सेवा हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदक द्वारा दी गयी सूचनाओं को ई–फार्म्स एप्लीकेशन के माध्यम से इलेक्ट्ानिक विधि से ई–फार्म्स पोर्टल साफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी को प्रेषित किया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा जॉचोपरान्त आवेदन पत्र को स्वीकृत/अस्वीकृत किया जायेगा, जिसकी जानकारी आवेदक को किसी भी सेन्टर पर हो सकेगी। इस प्रकार योजनाओं का लाभ पात्र विकलांग जनों को ई–गवर्नेन्स के माध्यम से बिना विलम्ब के सुविधापूर्वक प्राप्त हो सकेगा ।

अनुदान संख्या–79

वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में प्रस्तावित प्राविधान का विवरण

धनराशि–(लाख रू0) में।

1.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यंत्र आदि खरीदने के लिये सहायता	1250.00
2.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण	26194.40
3.	मुख्यालय/मण्डलीय /जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	1104.71
4.	विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये राजकीय विद्यालयों/छात्रावासों	1498.36
5.	विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये आश्रित कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र	324.63
6.	विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम को क्षतिपूर्ति	3200.00
7.	दक्ष विकलांग कर्मचारियों को एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार	4.50
8.	विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के कल्याण हेतु स्वैच्छिक संगठनों एवं संस्थानों को सहायता।	30.00
9.	शारीरिक रूप से सक्षम व्यक्तियों द्वारा विकलांग से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार	220.00
10.	दृष्टिबाधितार्थ अध्यापकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना	2.00
11.	कौशल विकास केन्द्रों की स्थापना	21.76
12.	.अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग संस्थान वाराणसी	33.71
13.	विकलांग जन हेतु गोरखपुर में मनोविकास केन्द्र की स्थापना	18.73
14.	असहाय विकलांग जन की बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	20.00
15.	बचपन नर्सरी केन्द्र की स्थापना	110.00
16.	दुकान निर्माण(अनुदान)	24.10
17.	कार्यालय आयुक्त विकलांग जन	70.99
18.	ब्रेल प्रेस का संचालन	19.87
	योग	34147.76

अनुदान संख्या–79

वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित प्राविधान का विवरण

धनराशि–(लाख रू0) में।

1.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	6226.63
2.	03–मुख्यालय / मण्डल / जिला कार्यालयों का अधिष्ठान	178.30
3.	06–मानसिक मंदित केन्द्र सह आश्रय गृह	84.69
4.	विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये राजकीय विद्यालयों / छात्रावास	526.37
5.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय लखनऊ	3700.00
6.	बचपन नर्सरी स्कूलों की स्थापना	200.00
7.	मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संस्थाओं को सहायता	500.00
8.	डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफिसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण	20.00
9.	विकलांग बच्चों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा	600.00
10.	कुष्ठावस्था विकलांग भरण पोषण अनुदान	1500.00
11.	मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालिकाओं के लिये राजकीय विद्यालय ममता	53.60
	आयोजनागत (राजस्व) पक्ष का योग–	**13589.59**

वर्ष 2016–17 में पूॅजीगत आयोजनागत पक्ष में प्रस्तावित प्राविधान का विवरण

1.	विकलांग जन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा 1995 का कार्यान्वयन	2500.00
2.	उ0प्र0 विकलांग उद्धार डा0 शकुन्तला मिश्रा विश्वविधालय लखनऊ	2760.00
3.	समेकित विद्यालय, औरय्या, कन्नौज, इलाहाबाद का भवन निर्माण	1840.00
4.	ममता राजकीय विद्यालय, इलाहाबाद के भवन का निर्माण	200.00
5.	राजकीय कौशल विकास केन्द्र आगरा का भवन निर्माण	200.00
6.	संकेत राजकीय मूक बधिर विद्यालय गोरखपुर में छात्रावास भवन व आवासीय भवनों का निर्माण	170.00
7.	संकेत राजकीय श्रवणबाधित बालिका इण्टर कालेज गोरखपुर का भवन निर्माण	298.00
8.	प्रयास राजकीय अक्षम बालकों का विद्यालय लखनऊ का उच्चीकरण	200.00
9.	स्पर्श राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना	400.00
10.	संकेत मूकबधिर विद्यालय लखनऊ का उच्चीकरण	200.00
11.	डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में	3500.00

विशिष्ट स्टेडियम का निर्माण	
12. डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र की स्थापना	3500.00
13. प्रयास शारीरिक रूप से अक्षम बालकों का राजकीय विद्यालय	200.00
14. संकेत मूकबधिर बालक/बालिकाओं के राजकीय इण्टर कालेज	400.00
पूँजीगत आयोजनागत पक्ष का योग–	**16368.00**
अनुदान संख्या–79 के (राजस्व एवं पूँजीगत पक्ष) का कुल योग	**29957.59**

अनुदान संख्या–81 (टी0एस0पी0)

1.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	2.00
	योग	**2.00**

अनुदान संख्या–83 (एस0सी0पी0)

1.	नेत्रहीन मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से विकलांगों को उनके भरण पोषण हेतु अनुदान (जिला योजना)	900.00
2.	शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग/श्रवण सहायक यन्त्र आदि खरीदने के लिए सहायता (जिला योजना)	240.00
	योग	**1140.00**

आयोजनागत एवं आयोजनेतर पक्ष का कुल योग **65247.35**

वित्तीय आवश्यकताओं का औचित्य

1. विभिन्न श्रेणी के विकलांगों हेतु विधालयों/छात्रावासों का संचालन

मूक बधिरों की शिक्षा एवं पुनर्वासन के उद्देश्य से आगरा, बरेली, लखनऊ, फर्रूखाबाद तथा गोरखपुर में एक–एक मूक बधिर विद्यालय संचालित है। इन विद्यालयों में श्रवण यंत्र की सहायता से छात्रों को शिक्षा दिये जाने के साथ–साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। दृष्टिबाधितों की शिक्षा के लिए लखनऊ, में बालकों एवं बालिकाओं के लिए एक–एक एवं गोरखपुर, बॉदा में बालकों के लिए तथा सहारनपुर में बालिकाओं के लिए एक–एक विद्यालय संचालित है। प्रदेश में मानसिक रूप से अविकसित बालकों/बालिकाओं के लिए एक–एक विद्यालय क्रमशः लखनऊ तथा इलाहाबाद में संचालित है। शारीरिक रूप से अक्षम बालकों (मूक बधिर मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधितों को छोडकर) के लिये प्रतापगढ तथा लखनऊ में एक–एक विद्यालय संचालित है। विद्यालय के छात्रों के भरण पोषण का व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है। उक्त के अतिरिक्त उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों हेतु जनपद लखनऊ तथा गोरखपुर में बालक तथा बालिकाओं के लिये एक–एक एवं मेरठ तथा इलाहाबाद में बालकों के लिये एक–एक छात्रावास संचालित है।

इन विद्यालयों मे निर्धन विकलांग विद्यार्थी अध्ययनरत हैं जिन्हें विभाग की ओर से भरण पोंषण तथा छात्रावास की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के छात्रावास में निर्धन विद्यार्थी ही प्रवेश पाते है, जिनमें छात्रावास शुल्क के रूप में मात्र रू0 50 प्रतिमाह प्राप्त किया जाता है, परन्तु अन्य सुविद्यायें यथा फर्नीचर कुर्सी मेज सुरक्षा बिजली, पानी तथा भोजन आदि निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिये उक्त 16 विद्यालयों एवं 6 छात्रावासों के संचालन के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनागत पक्ष में रू0 526.37 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 1498.36 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

2. कौशल विकास केन्द्र

बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान करने की दृष्टि से लखनऊ, गोरखपुर, बॉदा, वाराणसी एवं आगरा में एक–एक आश्रित कर्मशाला संचालित है। प्रत्येक कर्मशाला में स्वीकृत क्षमता 50 है। चालू वित्तीय वर्ष में उक्त कर्मशालाओं में कुर्सी बुनाई, मोमबत्तियों, कम्प्यूटर, आदि का भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन कर्मशालाओं में निश्चित आय सीमा के विकलांग जन को निःशुल्क प्रशिक्षण आवास भोजन आदि प्रदान किया जाता है, जिसकी प्रतिपूर्ति स्वरूप वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 324.63 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

3. बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र मुरादाबाद एवं गौतमबुद्वनगर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी श्रेणी के विकलांग जन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये मुरादाबाद एवं गौतमबुद्वनगर जनपद में एक–एक बहुउद्देशीय कौशल विकास केन्द्र

की स्थापना की गयी है जिसमें सभी श्रेणी के विकलांग जन को बाजार की मॉग के अनुरूप अल्प अवधि के प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें स्वरोजगार प्रारम्भ करने योग्य बनाया जाता है। इन केन्द्रों में विकलांग जन को निश्चित समयावधि का अनावासीय प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के लिये आवाश्यक मशीन–उपकरण, सयन्त्र, कच्चा माल तथा प्रशिक्षक के मानदेय एवं इन केन्द्रों के संचालन में लगे कार्मिकों के मानदेय आदि की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 21.76 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

4. <u>बचपन डे केयर सेन्टर की स्थापना एवं संचालनः–</u> 03से 07 वर्ष आयु वर्ग तक के विभिन्न विकलांगता से ग्रस्त .बच्चों को सामान्य स्कूलों में प्रवेश योग्य तैयार किये जाने हेतु जनपद लखनऊ,इलाहाबाद,वाराणसी (प्रत्येक 60 बच्चों की क्षमता) आगरा,सहारनपुर,झॉसी,बरेली, गौतमबुद्वनगर (प्रत्येक 30बच्चों हेतु) बचपन डे केयर सेन्टर का संचालन किया जा रहा है। संचालित बचपन डे केयर सेन्टर्स में विभिन्न श्रेणी के विकलांग बच्चों को आनावसीय औपचारिक शिक्षा प्रदान करने हेतु निःशुल्क यातायात तथा पुस्तकें उपकरण यूनिफार्म जूता, मौजा दैनिक सुक्ष्म जलपान के साथ–साथ उनके केन्द्रों में तैनात विशेष शिक्षकों एवं सहयोगी कार्मिकों को मानदेय दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 110.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में समस्त मण्डल मुख्यालयों पर बचपन नर्सरी केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 200.00 लाख का बजट प्राविधान प्रस्तावित है।

5. <u>डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय(लखनऊ) :–</u> देश में पहली बार विभिन्न श्रेणी के विकलांग विधार्थियों को बाधारहित वातावरण में गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये के उद्देश्य से डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविधालय, लखनऊ की स्थापना की गयी है। वर्तमान में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित मानसिक मंदित के क्षेत्र में बी0एड0 स्पेशल एवं एम0एड0 स्पेशल के साथ स्नातक एवं परास्नातक पाठयक्रम संचालित किये जा रहे हैं। विश्वविधालय में कुल 06 संकाय एवं 29 विभाग बनना प्रस्तावित है। विश्वविधालय के प्रत्येक पाठयक्रम में विभिन्न श्रेणी के विकलांग विद्यार्थियों के लिए 50 प्रतिशत सीट आरक्षित है, जिसमें से पुनः 50 प्रतिशत अर्थात कुल 25 प्रतिशत सीटे केवल दृष्टिहीन विद्यार्थियों के लिये आरक्षित की गई है। यह विश्वविद्यालय समस्त श्रेणी के विकलांग विद्यार्थियों को बाधारहित वातावरण में उनकी विकलांगता के अनुरूप सुलभ शिक्षा प्रदान करता है, तथा अपने आप में देश का एक अनुकरणीय संस्थान है। विश्वविद्यालय में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के निःशुल्क शिक्षा के साथ–साथ निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन आदि प्रदान किया जाता है, अन्त श्रेणी के विकलांग विद्यार्थियों को भी अल्प शुल्क में अध्यापन कराया जाता है। उक्त कायो में आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति एवं विश्वविद्यालय के शेष भवनों के निर्माण आदि कार्यो हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनागत पक्ष के वेतन एवं अन्य आकस्मिक मदों के अन्तर्गत रू0 3700 लाख तथा पूजीगत निर्माण हेतु रू0 2760.00लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

6. विभिन्न श्रेणी के निराश्रित विकलांग व्यक्तियों हेतु भरण पोषण अनुदान (विकलांग पेंशन)

प्रदेश में दृष्टिबाधित,मूक बधिर, मानसिक तथा शारीरिक रूप से विकलांग एवं निराश्रित व्यक्तियों जिनके जीवन यापन के लिये स्वयं का न तो कोई साधन है न ही वह किसी प्रकार का ऐसा परिश्रम कर सकते हैं, के भरण पोष्ण हेतु विकलांग भरण पोषण योजनान्तर्गत वर्तमान में रू0 300/- प्रति माह प्रति लाभार्थी की दर से अनुदान दिया जा रहा है, जिसके व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में आयोजनागत सामान्य पक्ष में रू0 6226.63 लाख, एस0सी0पी0 आयोजनागत पक्ष में रू0 900.00 लाख एवं टी0एस0पी0 हेतु रू0 2.00 लाख तथा आयोजनेतर पक्ष में रू0 26194.40 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

7. शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय हेतु अनुदान योजना

शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम रू0 6000/- का अनुदान दिया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु आयोजनेतर सामान्य पक्ष में रू0 1250.0 लाख व आयोजनागत एस0सी0पी0 में रू0 240.00 लाख का प्राविधान प्रस्तावित है।

8. विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजनाः-

इस योजना के अन्तर्गत दम्पति में युवती के विकलांग अथवा युवक व युवती दोनो के विकलांग होने की दशा में प्रोत्साहन पुरस्कार देने की व्यवस्था है। विवाहित जोड़ में महिला के अथवा दोनो के विकलांग होने पर रू0 20000/- तथा केवल पुरूष के विकलांग होने पर रू0 15000/- की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। उक्त की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलांग व्यक्तियों से शादी करने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 220.00 लाख का प्राविधान है।

9. विकलांग जन के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण/संचालन योजनाः-

इस योजना के अन्तर्गत विकलांग जन के पुनर्वासन हेतु रू0 20000/- की धनराशि दुकान निर्माण हेतु अथवा रू0 10000/-की धनराशि दुकान संचालन हेतु देने की व्यवस्था है। रू0 20000/- में से रू0 15000/- की धनराशि तथा रू0 10000/- में से रू0 7500/- की धनराशि चार प्रतिशत वार्षिक साधारण व्याज की दर से ऋण के रूप में एवं क्रमशः रू0 5000/- एवं रू0 2500/- अनुदान के रूप में दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान हेतु रू0 24.10 लाख तथा ऋण हेतु रू0 72.30 लाख का आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधान है।

10.विकलांग जन को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को क्षतिपूर्ति :-

राज्य सरकार द्वारा इस योजना की नियमावली के अनुसार पात्र विकलांग जन एवं उसके सहायक को निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाती है। यह सुविधा उ0प्र0 राज्य

सड़क परिवहन निगम द्वारा प्रदान की जा रही है, जिनकों विभाग की ओर से इस कार्य में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 3200.00 लाख का प्राविधान है।

11.दक्ष विकलांग व्यक्तियों व उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार–

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणी के विकलांग कर्मचारियों एवं उनके सेवायोजकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरित किये जाते हैं। पुरस्कार सामग्री क्रय करने, नकद धनराशि प्रदान करने तथा इस हेतु कार्यक्रम आयोजित करने आदि की लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 4.50 लाख का प्राविधान है।

12. स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं को सहायता

विकलांग कल्याण के कार्य में लगी स्वैच्छिक संस्थाओं/संगठनो को विकलांगता का कारण, बचाव, उपचार, पुनर्वासन एवं विकलांग कल्याण विभाग की योजनाओं तथा अधिनियम के प्राविधानों का प्रचार–प्रसार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इसके लिय विभाग द्वारा प्रख्यापित नियमावली में उद्धृत शर्तो के अन्तर्गत चयनित स्वयंसेवी संस्थाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है, जिसके लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 30.00 लाख का प्राविधान किया गया है।

13. मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र

मानसिक मंदित एवं मानसिक रूप से रूग्ण निराश्रित विकलांग जन के लिए आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र संचालित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान किये जाने हेतु आयोजनागत पक्ष में कुल रू0 500.00 लाख का प्राविधान है।

14. निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा के लिए अनुदान

उक्त योजना की नियमावली में निहित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन ऐसे विकलांग व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय सीमा रू0 60000/प्रति वर्ष हो, की शल्य चिकित्सा हेतु सम्बन्धित राजकीय चिकित्सालय को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये अनुमानित शल्य चिकित्सा व्यय के आधार पर एक वर्ष में अधिकतम रू0 8000/– प्रति व्यक्ति की सीमा तक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की गयी है, चयनित लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

15. दृष्टिबाधितार्थ अध्यापको हेतु प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापनाः–

राजकीय दृष्टिबाधित इन्टर कालेज, मोहान रोड, लखनऊ कें परिसर में प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित कर राजकीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून के समन्वय से दृष्टिबाधितार्थ अध्यापन डिप्लोमा प्रदान किए जाने हेतु प्रशिक्षण केन्द्र पर आने वाले व्यय को वहन करने के लिये वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 2.00 लाख का प्राविधान है।

16. विकलांग जन हेतु गोरखपुर में मनोविकास केन्द्र की स्थापना

जनपद गोरखपुर में इंसेफलाइटिस के प्रकोप के कारण काफी अधिक संख्या में बच्चे मानसिक विकलांगता के शिकार हो रहे है। जनपद गोरखपुर में ऐसे बच्चों के मानसिक विकास हेतु मनोविकास केन्द्र की स्थापना की गयी है। इन केन्द्रों के माध्यम से संस्थागत सेवायें यथा फिजियोथेरेपी, वोकेशनल थेरेपी, साइको कान्सलिंग, कृत्रिम अंग/सहायता उपकरण आदि की सुविधायें प्रदान की जाती है, जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 18.73 लाख का प्राविधान है।

17. अमरावती पुरूषोत्तम बहुउद्देशीय विकलांग विकास संस्थान वाराणसी का संचालन :–

अमरावती विकलांग विकास संस्थान, वाराणसी में विभिन्न श्रेणी के विकलांग जन को ओ0पी0डी0 की सुविधा के साथ–साथ उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गयी है, साथ ही इसके माध्यम से बचपन डे केयर सेन्टर की पद्वति पर विद्यालय भी संचालित किया जाता है। उक्त संस्थान में मंदबुद्धि विकास केन्द्र, विकलांग केन्द्र व कम्यूनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन सेन्टर के व्यय वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 33.71 लाख का प्राविधान है।

18. **कुष्ठावस्था पेंशन योजना :–** विकलांग जन विकास विभाग द्वारा विकलांगजन हेतु संचालित विकलांग भरण पोषण अनुदान योजना के अन्तर्गत कुष्ठ रोग के कारण विकलांग जन को भी पेंशन दिये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। कुष्ठ रोग के कारण विकलांग हुए ऐसे सभी विकलांग जन पात्र होगे, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों तथा बी0पी0एल0 सीमा के अन्तर्गत आतें हों एवं शासन द्वारा संचालित अन्य कोई पेंशन न प्राप्त कर रहे हो को प्रदेश से सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र (चाहे विकलांगता का प्रतिशत कुछ भी हो) मान्य होगा को रू0 2500/– प्रति माह की दर से अनुदान अनुमन्य होगा। वित्तीय वर्ष 2015–16 में अनुपूरक मांग के माध्यम से रू0 15.00 करोड़ का आयोजनागत पक्ष में प्राविधान किया गया है। इस योजना की नियमावली प्राख्यापित कर दी गयी है। इस योजना का शुभारम्भ चालू वित्तीय वर्ष के अन्तिम त्रैमास से किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 1500.00 लाख का वजट प्राविधान आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित है।

19. ब्रेल प्रेस का संचालन :–

प्रदेश में दृष्टिबाधित छात्र/छात्राओं के पठन–पाठन हेतु ब्रेललिपि में पुस्तकों को प्रकाशित करने हेतु ब्रेल प्रेस का संचालन किया जा रहा है। यह ब्रेल प्रेस उच्च शिक्षा में अध्ययनरत दृष्टिबाधित छात्रों के छात्रावास निशातगंज, लखनऊ में स्थापित की गयी है। इस ब्रेल प्रेस में विभाग द्वारा संचालित दृष्टिबाधित विद्यालयों में अध्ययनरत् छात्र–छात्राओं के पठन पाठन हेतु सम्बन्धित बिषयों की पुस्तकों को ब्रेल लिपि में प्रकाशित कराया जा रहा है। ब्रेल प्रेस के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु कुल रू0 21.53 लाख के प्रविधान के सापेक्ष

कुल रू0 4.53 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2015–16 हेतु आयोजनेतर पक्ष में रू0 16.41 लाख का प्राविधान के सापेक्ष माह दिसम्बर, 2015 तक रू0 6.28 लाख का व्यय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में आयोजनेतर पक्ष में रू0 19.87 लाख का प्राविधान है।

20. डिसलेक्सिया व अटेंशन डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण।

डिसलेक्सिया व अटेंश्न डैफसिट एण्ड हाईपर एक्टिविटी सिन्ड्रोम जैसी छिपी हुई विकलांगता से प्रभावित बच्चों की पहचान हेतु अध्यापकों को प्रशिक्षित करने उनके अभिभावकों को इस परिपेक्ष्य में जागरूक करने एवं समाज में जागरूकता का सृजन कर संवेदन संवेदनशीलता उत्पन्न करने की एक नवीन एवं महत्वपुण योजना विभाग द्वारा प्ररम्भ की गयी है।

उक्त योजना अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 में रू0 15.00 लाख का प्रविधान है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिये रू0 20.00 लाख का प्राविधान है।

21. विकलांग बच्चों की विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा।

उ0प्र0 के निर्धन एवं असहाय विकलांग व्यक्तियों के विकलांगता निवारण हेतु शल्य चिकित्सा अनुदान नियमावली के अन्तर्गत प्रदेश में शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे बच्चों जो विशेष रूप से पोलियों से ग्रस्त हैं, की पोलियों करैक्टिव सर्जरी कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 के आय–व्ययक में रू0 600.00 लाख का प्राविधान है।

22. विकलांग जन के लिये बाधारहित व्यवस्था हेतु सिपडा–1995 का कार्यान्वयन

प्रदेश के विभिन्न जन उपयोगी सार्वजनिक कार्यालय/भवनों को चरणबद्व ढंग से विकलांग जन हेतु सुगम्य बनाने एवं वहॉ बाधारहित वातावरण सृजित कर विकलांग जन को आसान पहुॅच हेतु सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सिपडा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु रू0 25.00 करोड़ की धनराशि का प्राविधान किया गया है।

परिशिष्ट–क

विकलांग जन विकास विभाग, उ0प्र0 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क0 सं0	पदों का वर्गीकरण पदनाम सहित	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5
1	निदेशक	1	0	1
2	मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी	1	1	0
3	संयुक्त निदेशक	3	3	0
4	उपनिदेशक	13	9	04
5	सहायक लेखाधिकारी	1	0	1
6	जिला विकलांग जन विकास अधिकारी	75	40	35
7	प्रधानाचार्य, इण्टर कालेज	6	3	3
8	प्रधानाचार्य, हाई स्कूल	5	2	3
9	प्रधानाचार्य जू0हाई स्कूल	3	0	3
10	मनोवैज्ञानिक	2	0	2
11	अधीक्षक	18	8	10
12	प्रबन्धक ब्रेल प्रेस	1	0	1
13	लेखाकार	1	0	1
14	सहायक लेखाकार	2	2	0
15	प्रवक्ता	48	31	17
16	वैयक्तिक सहायक ग्रेड –1	2	1	1
17	वैयक्तिक सहायक ग्रेड –2	3	3	0
18	कार्यालय अधीक्षक/प्रशासनिक अधिकारी	1	0	1
19	अपर सांख्यिकीय अधिकारी	1	1	0
20	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	1	0	1
21	व्यवसायिक चिकित्सा विज्ञानी	2	0	2
22	वरिष्ठ सहायक	101	83	18

23	आशुलिपिक	13	4	9
24	कनिष्ठ सहायक	120	111	9
25	कर्मशाला पर्यवेक्षक ग्रेड–1	3	0	3
26	कर्मशाला पर्यवेक्षक ग्रेड–2	5	2	3
27	पुस्तकालयाध्यक्ष	5	1	4
28	नर्स / कम्पाउन्डर / हास्टल / वार्डेन	13	9	4
29	अध्यापक, एल0टी0ग्रेड,	91	64	27
30	अध्यापक, जे0टी0सी0 ग्रेड / जे0टी0सी0 संगीत	49	45	4
31	अध्यापक, एच0टी0सी0 ग्रेड	4	2	2
32	मोबिलिटी अध्यापक	7	0	7
33	छात्रावास अधीक्षक	8	1	7
34	शिल्प प्रशिक्षक	4	0	4
35	प्रशिक्षक ग्रेड–3	15	6	9
36	प्रशिक्षक ग्रेड–2	12	4	8
37	प्रशिक्षक ग्रेड–1	7	3	4
38	सेल्समैन	1	1	0
39	प्रोजेक्टर आपेरेटर	2	0	2
40	कम्प्यूटर आपेरेटर ग्रेड–ए (ब्रेल प्रेस)	1	0	1
41	प्रूफ रीडर (ब्रेल प्रेस)	1	0	1
42	स्टोर कीपर (ब्रेल प्रेस)	1	0	1
43	वाहन चालक	14	8	6
44	प्रयोगशाला सहायक	2	2	0
	योग	**669**	**450**	**219**
45	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	226	नियमित 93 आउटसोर्सिंग 70 योग **163**	63
	कुल योग	**895**	**613**	**282**

परिशिष्ट–ख

प्रशासनिक व्यवस्था एवं विभागीय संगठन का चार्ट

निदेशक विकलांग जन विकास विभाग

संयुक्त निदेशक –3

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी–1

उपनिदेशक–मुख्यालय 02

मण्डलीय उपनिदेशक–11

जिला विकलांग जन विकास
प्रधानाचार्य / अधीक्षक / समन्वयक(संविदा)
अधिकारी–75

विभागीय संस्थायें–32

डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ

विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षकवृन्द/अधिकारीगण/कर्मचारीगण का विवरण

क्र. सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	भरे पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	नियुक्ति का प्रकार		
					प्रतिनियुक्ति	नियमित	संविदा
1	कुलपति	01	01	00	00	01	00
2	वित्त अधिकारी	01	01	00	00	01	00
3	कुलसचिव	01	00	01	00	00	00
4	प्रोफेसर	28	12	16	00	12	00
5	रीडर/एसोसिएट प्रोफेसर	37	23	14	00	23	00
6	असिस्टेन्ट प्रोफेसर	74	49	25	00	49	00
7	विशेष शिक्षक	06	04	02	00	04	00
8	उप कुलसचिव	01	01	00	00	01	00
9	सहायक कुलसचिव	02	02	00	00	02	00
10	सिस्टम एनालिस्ट	01	01	00	00	01	00
11	प्रोग्रामर ग्रेड–1	02	00	02	00	00	00
12	प्रोग्रामर ग्रेड–2	01	00	01	00	00	00
13	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	02	01	01	01	00	00
14	प्रशासनिक अधिकारी	05	01	04	01	00	00
15	व्यवस्थाधिकारी	01	00	01	00	00	00
16	जन सम्पर्क अधिकारी	01	00	01	00	00	00
17	प्लेसमेन्ट अधिकारी	01	00	01	00	00	00
18	सम्परीक्षा अधिकारी	01	00	01	00	00	00
19	विधि अधिकारी	01	01	00	00	01	00
20	क्रीड़ा अधिकारी	01	00	01	00	00	00
21	सहायक विधि अधिकारी	02	02	00	00	02	00
22	जन सम्पर्क सहायक सह स्वागती	02	00	02	00	00	00
23	क्रीड़ा सहायक	01	00	01	00	00	00
24	प्रधान सहायक	09	02	07	02	00	00
25	वरिष्ठ सहायक	54	01	53	01	00	00
26	सम्परीक्षक	04	00	04	00	00	00
27	सहायक लेखाकार	12	04	08	00	04	00
28	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	02	00	02	00	00	00

29	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड –1	02	00	02	00	00	00
30	व्यैक्तिक सहायक ग्रेड –2	09	00	09	00	00	00
31	आशुलिपिक	11	06	05	00	06	00
32	सहायक स्टोर कीपर	01	00	01	00	00	00
33	आर्ट एवं क्राफ्ट इन्स्ट्रक्टर	04	00	04	00	00	00
34	संगतकर्ता	02	00	02	00	00	00
35	मोबिलिटी ट्रेनर	01	01	00	00	01	00
36	मनोवैज्ञानिक (एम.आर. विभाग तथा पुनर्वसन एवं बहुविकलांग विभाग)	02	01	01	00	01	00
37	स्पीचथेरेपिस्ट	01	01	00	00	01	00
38	विधि सहायक	04	00	04	00	00	00
39	कनिष्ठ सहायक	113	25	88	00	25	00
40	कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड–2	02	00	02	00	00	00
41	प्रयोगशाला सहायक	10	00	10	00	00	00
42	डिमान्सट्रेटर	07	00	07	00	00	00
43	चिकित्सालय अधीक्षक	01	00	01	00	00	00
44	नेत्र चिकित्सक	01	00	01	00	00	00
45	मनोचिकित्सक	01	00	01	00	00	00
46	अस्थि रोग विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00
47	कान–नाक–गला विशेषज्ञ	01	00	01	00	00	00
48	फिजियोथेरेपिस्ट	02	01	01	00	01	00
49	फार्मासिस्ट	01	00	01	00	00	00
50	ओ.टी.टेक्नीशियन	02	00	02	00	00	00
51	अपर वित्त अधिकारी	02	00	02	00	00	00
52	पुस्तकालयाध्यक्ष	01	00	01	00	00	00
53	सूचीकार	01	00	01	00	00	00
54	सहायक अभियन्ता (सिविल)	01	00	01	00	00	00
55	अवर अभियन्ता सिविल/विद्युत	02	00	02	00	00	00
56	तकनीकी सहायक विद्युत/सिविल	02	00	02	00	00	00
57	वाचक	02	00	02	00	00	00
58	वाहन चालक	04	04	00	00	04	00
59	चतुर्थ श्रेणी	20	20	00	00	20	00
60	वार्ड ब्वाय	01	01	00	00	01	00
61	अटेन्डेंट	01	01	00	00	01	00
Total		**470**	**167**	**303**	**05**	**162**	**00**

आयुक्त विकलांग जन, उ0प्र0 में स्वीकृत/कार्यरत पदों का विवरण

क0 सं0	पदनाम	कुल स्वीकृत पदों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2013–14 तक कुल स्वीकृत पदों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2014–15 में कुल स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत कर्मचारियों की संख्या	रिक्त पदों की सख्ंया
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	आयुक्त	1	0	0	1	0
2	उपायुक्त	5	0	0	2	3
3	विधि अधिकारी	1	0	0	1	0
4	सहायक विधि अधिकारी	1	0	0	0	1
5	वैयक्तिक सहायक	1	0	0	0	1
6	वरिष्ठ सहायक	2	0	0	2	0
7	आशुलिपिक	5	0	0	1	4
8	कनिष्ठ सहायक	5	0	0	1	4
9	ब्रेल लिपि रीडर	1	0	0	0	1
10	वाहन चालक	1	0	0	1	0
11	चपरासी	5	0	0	3	2
12	सफाई कर्मचारी	1	0	0	1	0
	योग	**29**	**0**	**0**	**13**	**16**